न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 31/2021 **तारीख रजू:–29.12.2021**

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2021/115

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. रोशन देवी पत्नि स्व0 जमना प्रसाद जाति नट, निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।
2. ताराचन्द पुत्र धन्ना लाल कोली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. नारायण पुत्र धन्ना लाल कोली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. बाबू लाल पुत्र धन्ना लाल कोली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
5. श्रीमति रेवडी पत्नि मोहन जाति कोली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
6. मनीष पुत्र मोहन निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
7. विशाल पुत्र मोहन निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
8. पायल पुत्री मोहन नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति रेवडी कोली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
9. मुस्कान पुत्री मोहन पत्नि स्व0 मोहन लाल कोली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थित::–

वकील प्रार्थी:–श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9:– श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

निर्णय दिनांक:– 27.11.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:43 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया [illegible] शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर की रहने वाली काश्तकार पेशा विधवा महिला है। प्रार्थीया की कब्जे काश्त की भूमि अप्रार्थी संख्या [illegible] लगायत [illegible] के पति 6 लगायत 9 के पिता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक [illegible] ग्राम शिवाड़ में खातेदारी की साबिक भूमि खसरा नंबर 1019/1/9 रकबा 5 बीघ[illegible]रानी खरीदी थी, जो नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 05.01.2001 से प्रार्थीया के नाम खातेदारी हुई, जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 में हो रहा है तथा प्रार्थीया तभी से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अभी हाल में हुए

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

सेटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नंबर 1019/1/9 जो कि काफी बड़ा रकबा था, के नवीन खसरा नंबर 1756 रकबा 1.26 है0 खातेदारी अंकित कर नवीन जमाबन्दी जारी की, उस में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करते हुए जाति कोली के बजाय काछी दर्ज कर दी गई है, जिसके नामान्तरकरण संख्या 216 का अमल नई जमाबन्दी में नहीं हो सका। प्रार्थी नंबर 2 लगायत 5 के पिता धन्ना लाल पुत्र कालू को उक्त आराजीयात खसरा नंबर 1019/1/9 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 20.10.1975 को आवंटन की गई। आवंटन सूची में जाति कोली दर्ज है और वारिसान नामान्तरकरण संख्या 208 दिनांक 05.09.2001 से अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 5 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। सेटलमेंट से पूर्व विक्रय करते समय तक जाति कोली दर्ज है, जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा कोली जाति काछी की बजाय कोली दर्ज किये जाना न्याय हित में नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीया एक अनपढ़ महिला है। प्रार्थीया को इस बात की जानकारी नहीं थी। प्रार्थीया नरेगा में काम करवाने हेतु जमाबन्दी लेने पटवार हल्का शिवाड़ ए के पटवारी महोदय के पास गई तो उन्होने कहा की आपके नाम कोई भूमि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ ए की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता संख्या 201 खसरा नंबर 4755 रकबा 1.26 में दर्ज ताराचन्द, नारायण, बाबूलाल पिता धन्ना मुसम्मा, प्रभाति बेवा धन्ना कोली, रेवड़ी देवी पत्नि मोहन लाल, मनीष, विशाल पुत्र मोहन लाल, पायल, मुस्कान पुत्रीयां मोहन सादेह खातेदार को हजफ कर नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 05.10.2001 को अमल करने के अप्रार्थी संख्या 01 को आदेश देवें एवं रोशन पत्नि जमना प्रसाद जाति नट के नाम खातेदारी दर्ज करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी कर उन्हे न्यायालय में तलब किया गया।
3. यह है कि अप्रार्थीसंख्या 2 लगायत 9 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पेश किये गये उनवानी प्रकरण में अपना जवाब इस प्रकार पेश किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नंबर 3 में सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक खसरा नंबर 1019/1/9 के नवीन खसरा नंबर 1755 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम शिवाड़ बनना व विपक्षीगण की जाति गलती से कोली के बजाय काछी दर्ज होना स्वीकार है, बाकी इबारत अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नंबर 4 में दिनांक 20.10.1975 को विपक्षीगण के पूर्वज धन्नालाल पुत्र कालू कोली को साबिक खसरा नंबर 1019 में 5 बीघा भूमि आवंटन होना व वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होना स्वीकार है, लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा विपक्षीगण की जाति कोली होते हुए भी काछी दर्ज कर देने की जानकारी होने पर विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय के माध्यम से दिनांक 06.10.2021 को जाति काछी के बजाय कोली दुरूस्त करवाई है और उसका नामान्तरकरण संख्या 1266 दिनांक 06.10.2021 को तस्दीक होकर जमाबंदी में अंकन हो चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। विपक्षीगण [illegible] की साबिक आराजी खसरा नंबर 1019/1/9 रकबा 5 बीघा ग्राम शि[illegible] में [illegible] है, जिसके अभी हाल में हुए सेटलमेंट विभाग ने विपक्षीगण की जाति कोली [illegible] काछी दर्ज कर देने पर विपक्षीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] एक्ट श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 06.10.2021 [illegible] निर्णय होने पर विपक्षीगण की जाति कोली का नामान्तरकरण संख्या 1266 दिनांक 06.10.2021 तस्दीक हुआ। विपक्षीगण ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1755 रकबा 1.26 है0 कभी भी प्रार्थीया को विक्रय नहीं की है और ना ही प्रार्थीया का विपक्षीगण की उक्त भूमि से कोई लेना देना है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण निरन्तर काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीया विपक्षीगण की भूमि को जबरन हड़पना चाहती है, यदि उक्त भूमि विपक्षीगण से प्रार्थीयान ने खरीद की थी तो उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन क्यों नहीं करवाया। चूंकि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि का दिनांक 19.09.2001 को खरीद करना कथन किया है जो साबिक खसरा नंबर 1019/1/9 है, जिसमें विपक्षीगण की जाति कोली ही थी। यदि विपक्षीगण द्वारा भूमि विक्रय की गई होती तो उसका इन्द्राज अवश्य होता। लेकिन जब सेटलमेंट हुआ और नया रिकॉर्ड आया तब विपक्षीगण की जाति गलती से कोली के स्थान पर काछी हो गई, जिसको विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय के माध्यम से दुरूस्त करवाई है और वर्तमान में उक्त भूमि के विपक्षीगण रिकॉर्डेड काश्तकार हैं इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

4. यह है कि उनवानी प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/898 दिनांक 25.04.2022 द्वारा मौका एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है, जो निम्नानुसार है–

- यह है कि ग्राम शिवाड़ का साबिक खसरा नंबर 1019 एक बड़ा खसरा था, जिसमें से कई व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया गया था। इस खसरा नंबर में से ही वादपत्र में अंकित खसरा नंबर 1019/1/9 रकबा 5 बीघा का आवंटन किया गया था, जिसका नवीन खसरा नंबर 1756 रकबा 1.26 है0 बना है, जो प्रतिवादीगणों की खातेदारी भूमि है। वादी द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई है।
- मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड साकिब खसरा नंबर 1019/4 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1755 रकबा 1.26 है0 एवं 1019/1/4 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1756 रकबा 1.06 है0 एवं 1019/1/6 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1757 रकबा 1.26 है0 बने है। साबिक खसरा नंबर 1019 के अन्य खसरा नंबर भी बने हैं।
- मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त में खसरा नंबर 1755 रकबा 1.26 है0 ताराचन्द, नारायण, बाबूलाल, मोहन पि0 धन्ना, मु0 प्रभाती बेवा धन्ना कोम काछी के नाम खातेदारी दर्ज थी, जो बाद शुद्धी कोली दर्ज की गई है।
- साबिक खसरा नंबर 1019 एक बड़ा खसरा था, जिसमें से कई व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया गया था। दावे में अंकित खसरा नंबर प्रतिवादीगणों के नाम न होकर अन्य व्यक्तियों के नाम है, जो एलआर एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है।
- वादपत्र में साबिक खसरा नंबर का साबिक नक्शा ट्रेस तरमीमशुदा संलग्न नहीं है। वादी द्वारा कब्जे को आधार [illegible] चाहा है। वादपत्र में अंकित खसरा नंबर 4755 रकबा 1.26 है0 [illegible]णों के नाम न होकर अन्य खातेदारों के नाम खाते[illegible] है।

  अतः वादपत्र में अंकित साबिक [illegible] खसरा नंबर का मिलान नहीं होने के कारण तथा साबिक नक्शाशीट में त[illegible] नहीं होने, दावे में अंकित खसरा नंबर गलत होने के कारण केवल कब्जे को आधार मानकर एलआर एक्ट 136 के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होगा। क्योंकि दावे के साथ साबिक रिकॉर्ड का नक्शा ट्रेस मय तरमीमशुदा संलग्न नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

5. बकुलाय बहस सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

6. हमने वकील उभयपक्षों की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण/उनके पूर्वजों द्वारा प्रार्थी को दिनांक 19.09.2001 को किये गये विक्रय पत्र एवं संबंधित नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 05.10.2001 के आधार पर खसरा नंबर 4755 को प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करने की प्रार्थना की गई है। विक्रय पत्र एवं नामान्तरकरण संख्या 216 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण उनके पूर्वजों द्वारा साबिक खसरा नंबर 1019/1/9 रकबा 5 बीघा का विक्रय किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1756 साबिक खसरा नंबर 1019/1/4 से बना है, बेचान किये गये साबिक खसरा नंबर 1019/1/9 से नहीं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित साबिक/हाल खसरा नंबरों का मिलान नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा साबिक खसरा नंबर 1019/1/9 का तत्समय का कोई नक्शा/तरमीम भी प्रस्तुत नहीं की की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 1755 रकबा 1.26 है0 का प्रार्थी को विक्रय करने से भी इन्कार किया है। प्रार्थी द्वारा अनुतोष भाग में उल्लेखित खसरा नंबर 4755 अप्रार्थीगणों के नाम न होकर अन्य के नाम खातेदारी दर्ज है। ऐसी स्थिति में महज प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1756 अथवा खसरा नंबर 4755, किसी का भी का खातेदार दर्ज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य/सबूतों के आधार पर घोषणात्मक दावा लाने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 27.11.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:43 IST
Reason: SelfAttested